न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2015/00017

उनवान

रमजानी पुत्र हट्टी जाति गद्दी(मुसलमान) निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुबराती
2. छोटल्ली
3. गज्जो
4. सलीम
5. सहीदा

पुत्रगण गुलाब जातियान गद्दी(मुसलमान) निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

6. रज्जाक (मृतक)
   - 6/1. अशरफी वेवा रज्जाक
   - 6/2. वरकत अली
   - 6/3. इसुब खॉ
   - 6/4. अल्लानूर

   पुत्रगण रज्जाक जातियान गद्दी(मुसलमान) निवासी ग्राम समराया तह0 वैर जिला भरतपुर।
7. हमीद पुत्र हट्टी
8. बाबू पुत्र हट्टी

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील संख्या 49/2015 (225 आर0टी0ए0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00011

उनवान

1. रज्जाक(मृतक)
   - 1/1. अशरफी वेवा रज्जाक
   - 1/2. बरकत अली
   - 1/3. इसुब खॉ
   - 1/4. अल्लानूर

   पिसरान रज्जाक जाति गद्दी निवासी समराया तह0 वैर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. सुबराती
2. छोट्ल्ली
3. गज्जो
4. सलीम
5. सहीदा

पिसरान गुलाब जाति गद्दी निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पो0

6. हमीद
7. बाबू
8. रमजानी

पिसरान हट्टी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील संख्या 33/2016 (225 आर0टी0ए0)

आरसीएमएस संख्या :– 2016/00026

उनवान

बाबू पुत्र श्री हट्टी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

बनाम

1. सुबराती
2. छोट्ल्ली
3. गज्जो
4. सलीम
5. सहीदा

पिसरान गुलाब जाति गद्दी निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पो0

6. रज्जाक पुत्र नौबत (तर्क)
7. हमीद पुत्र हट्टी
8. रमजानी पुत्र हट्टी

जाति गद्दी निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 18/2017 (225 आर0टी0ए0)

आरसीएमएस संख्या :– 2017/00090

उनवान

सुगर सिंह पुत्र स्व0 श्री मौहर सिंह उम्र 49 साल जाति जाटव निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

बनाम

1. सुबराती
2. छोट्ल्ली
3. गज्जो
4. सलीम
5. सहीदा

पिसरान गुलाब जाति गद्दी निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

6. रज्जाक (तर्क)
7. हमीद
8. बाबू
9. रमजानी

पिसरान हट्टी जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पो0

10. रसीद खॉ पुत्र सामत जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर।(तर्क)
11. हरीराम (तर्क)
12. राममोहन (तर्क)
13. रामअवतार (तर्क)

पिसरान दयाराम जाति जाटव निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील संख्या 50/2015 (225 आर0टी0ए0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00013

उनवान

1. रज्जाक(मृतक)
1/1. अशरफी वेवा रज्जाक
1/2. बरकत अली
1/3. इसुब खॉ
1/4. अल्लानूर

पिसरान रज्जाक जाति गद्दी निवासी समराया तह0 वैर जिला भरतपुर।

बनाम

1. उसमान
2. बहीद खान
3. अहसान खान
4. सुलेमान खान

पिसरान बत्तू जाति गद्दी निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 09.10.2015 उनवानी सुबराती बनाम रज्जाक वगै0 मु0न0 48/15 एवं मु0न0 73/15 उनवान उसमान वगै0 बनाम रज्जाक खान वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह झारोटिया, चन्द्रमोहन गुप्ता, गोविन्द सिंह डागुर, उदयवीर सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 10.07.2018

1. यह पॉचो अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूंकि उक्त सभी अपीलो में विवादित आराजी, तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए सभी अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीगण सुबराती वगै0 पिसरान गुलाब ने प्रार्थना पत्र संख्या 48/2015 एवं उसमान वगै0 पुत्रान बत्तू ने प्रार्थना पत्र संख्या 73/2015 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पृथक–पृथक विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण रज्जाक पुत्र नौबत एवं हमीद वगै0 पुत्रान हट्टी, इस आशय के पेश किये कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 30 रकवा 45 बीघा वाके ग्राम समराया तहसील वैर, रैस्पो0/प्रार्थीगण एवं अपीलाण्ट/ अप्रार्थीगण को उनके पूर्वज श्री नानगा से विरासत में प्राप्त हुयी है। रैस्पो0/प्रार्थीगण नानगा के खाते की भूमि के 1/3 हिस्से से 1/3 हिस्से पर काबिज हैं। परन्तु अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राजात खातेदारी रहने के कारण वह आये दिन विवादित आराजी को बिना विभाजित कराये ही किसी दीगर व्यक्तियों के लिये रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देते हैं। यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त धमकी में सफल हो गये तो रैस्पो0/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों में विवादित आराजी एवं तथ्य एक समान होने के कारण, दोनों प्रार्थना पत्रों को कन्सोलिडेट किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा पृथक–पृथक रूप से यह अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी को अपीलाण्ट के पिता अपने जीवनकाल से ही न्यारानूर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं उनकी मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट को विरासत में प्राप्त हुई है। रैस्पो0 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपने अधिकारो के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अब रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न मतो में प्रतिपादित सिद्धान्त कि एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। एक खातेदार को अपनी खातेदारी की आराजी का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को पैतृक सिद्ध करने वाली कोई दस्तावेजी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का कोई विवेचन नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1997 पेज 30, आरआरटी 2016(2) पेज 1323, 2015(1) पेज 633, 2013(2) पेज 820, 828, 2014(2) पेज 1417, 1301 एवं आरबीजे 2013 पेज 95 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्तागण रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जो उभयपक्ष के कॉमन पूर्वज नानगा से उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज उम्मेद 1/3 हिस्सा, अप्रार्थीगण के पूर्वज जहानखॉ 1/3 हिस्से के हिस्सेदार एवं मुरादखॉ 1/3 हिस्से का था। उम्मेद एवं जहानखॉ की मृत्यु के बाद दोनो के वारिसान अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करने लगे, जो ताहाल उम्मेद के हिस्से 1/3 में से हटटी एवं गुलाब के पास हिस्सा बराबर 1/6–1/6 हिस्सा मौजूद है। शमसेर लाबल्द बिला औरत फौत हो गया व उसके हिस्से की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 4 के पिताओ के पास आ गई, बाकी भूमि से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि से पूर्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि जहॉ जायदाद के बारे में परिवार के सदस्य के मध्य विवाद हो वहॉ अनावश्यक मुकदमे वाजी होने से बचाने के लिये निषेधाज्ञा जारी करना उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। रैस्पो0/प्रार्थीगण विवादित आराजी को पैतृक बताते हुए, पक्षकारों के कॉमन पूर्व पुरूष नानगा से विरासत में प्राप्त होना कथन करते हैं। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इसका खण्डन करते हुए, विवादित आराजी को अपने पिता की न्यारानूर खातेदारी की बताते हैं। यह तथ्य मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य से तय होने वाला बिन्दु है। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए अधनीस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन निरापद है। लिहाजा हम पॉचों अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि पॉचों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 09.10.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावलियॉ फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official